

राजस्व वसूली अधिनियम, 1890

(1890 का अधिनियम संख्यांक 1)¹



[14 फरवरी, 1890]

कतिपय लोक मांगों की वसूली के लिए और अच्छा उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

यह समीचीन है कि कतिपय लोक मांगों की वसूली के लिए अच्छा उपबन्ध किया जाए; अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

1. नाम और विस्तार—(1) यह अधिनियम राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 कहा जा सकेगा।

²[(2) इसका विस्तार ³[जम्मू और कश्मीर राज्य] के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है; ⁴***

⁴* * * * *

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

(1) “जिला” के अन्तर्गत प्रेसिडेन्सी-नगर भी है;

(2) “कलक्टर” से किसी जिले के भू-राजस्व प्रशासन का भारसाधक मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है; और

(3) “व्यतिक्रमी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय कोई राशि देय है, और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी ऐसी बकाया या राशि के संदाय के लिए प्रतिभू के रूप में उत्तरदायी है।

3. लोक मांगों की उन जिलों से जिनमें वे संदेय होती हैं भिन्न जिलों में आदेशिका के प्रवर्तन से वसूली—(1) जहां कोई भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय कोई राशि कलक्टर को ऐसे व्यतिक्रमी से संदेय है जो उस जिले से भिन्न जिले में है या सम्पत्ति रखता है जिसमें वह बकाया प्रोद्भूत हुई या वह राशि संदेय है, वहां कलक्टर उस भिन्न जिले के कलक्टर को, अनुसूची के यथाशक्य निकटतम प्ररूप में एक प्रमाणपत्र भेज सकेगा जिसमें—

(क) व्यतिक्रमी का नाम और ऐसी अन्य विशिष्टियां कथित होंगी, जो उसकी पहचान के लिए आवश्यक हों; और

(ख) उसके द्वारा संदेय रकम और जिस लेखे वह देय है वह कथित होगा।

(2) प्रमाणपत्र, उसे देने वाले कलक्टर द्वारा ⁵[या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसको ऐसा कलक्टर लिखित आदेश द्वारा यह कर्तव्य प्रत्यायोजित करे], हस्ताक्षरित किया जाएगा और इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय वह उसमें कथित विषयों का निश्चायक सबूत होगा।

(3) उस भिन्न जिले का कलक्टर प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर उसमें कथित रकम को वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह ऐसी भू-राजस्व की बकाया हो जो उसके अपने जिले में प्रोद्भूत हुई हो।

4. अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन वसूल की गई रकम के संदाय के दायित्व से इन्कार करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध उपचार—(1) जब प्रमाणपत्र में कथित रकम की वसूली के लिए अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाहियां की जाती हैं तब यदि वह व्यक्ति उस रकम या उसके किसी भाग के संदाय के अपने दायित्व से इन्कार करता है और उसका संदाय, संदाय के समय लिखित रूप में और अपने अथवा अपने अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यापत्ति के अधीन करता है तो वह ऐसी संदत्त रकम या उसके भाग के प्रतिसंदाय के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

¹ इस अधिनियम को बनारस फेमिली डोमेन्स को लागू करने में उपान्तरित किया गया। बनारस फेमिली डोमेन्स अधिनियम, 1904 (1904 का यू० पी० 3) की धारा 15 देखिए।

इस अधिनियम का विस्तार उपांतरणों सहित 1962 के विनियम 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर, 1963 के विनियम 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर विस्तारित और प्रवर्तित, 1965 के विनियम 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर, और 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर किया गया।

यह अधिनियम असम में 1971 के असम अधिनियम 16 द्वारा संशोधित किया गया।

² भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1947 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1950 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2(2) और अनुसूची द्वारा “भाग ख राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा उपधारा (2) के अंत में “और” शब्द का और उपधारा (3) का लोप किया गया।

⁵ 1914 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) उपधारा (1) के अधीन वाद ऐसे सिविल न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता उस स्थानीय क्षेत्र में हो जिसमें ऐसे कलक्टर का कार्यालय स्थित है जिसने प्रमाणपत्र दिया था तथा वाद का अवधारण उस स्थान पर प्रवृत्त विधि के अनुसार किया जाएगा जहां बकाया प्रोद्भूत हुई या राशि के संदाय के लिए दायित्व उद्भूत हुआ।

(3) उस वाद में वादी, पूर्वगामी धारा में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु पूर्वोक्त स्थान पर प्रवृत्त विधि के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रमाणपत्र में कथित किसी विषय की बाबत साक्ष्य दे सकेगा।

¹[(4) यदि ²[पाकिस्तान या] बर्मा की विधि के भागरूप यथा प्रवृत्त इस अधिनियम के अधीन अथवा ³[या पाकिस्तान या] बर्मा की विधि के भागरूप वैसे ही किसी अन्य अधिनियम के अधीन, ⁴[यथास्थिति, पाकिस्तान या बर्मा] में किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाहियां ऐसे प्रमाणपत्र में कथित रकम की वसूली के लिए की जाती हैं जो ऐसे ⁵[किसी राज्य में जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है,] कलक्टर द्वारा दिया गया हो, तो यह धारा लागू होगी।]

5. अन्य लोक अधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय राशियों की कलक्टर द्वारा वसूली—जहां कोई राशि कलक्टर से भिन्न किसी लोक अधिकारी द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय है वहां उस जिले का कलक्टर जिसमें उस अधिकारी या प्राधिकारी का कार्यालय स्थित है, उस अधिकारी या प्राधिकारी के निवेदन पर उस राशि को वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह ऐसी भू-राजस्व की बकाया हो जो उसके अपने जिले में प्रोद्भूत हुई हो तथा वसूल की जाने वाली रकम का एक प्रमाणपत्र इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन अन्य जिले के कलक्टर को भेज सकेगा मानो वह राशि स्वयं उसको संदेय हो।

6. इस अधिनियम के अधीन विक्रय के दायित्वाधीन सम्पत्ति—(1) जब किसी जिले का कलक्टर इस अधिनियम के अधीन कोई प्रमाणपत्र प्राप्त करता है तब वह उस जिले में व्यतिक्रमी की किसी स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण या प्रभारण का प्रतिषेध करने वाली उद्घोषणा निकाल सकेगा।

(2) कलक्टर किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा उस उद्घोषणा को वापस ले सकेगा और वह उद्घोषणा तब वापस ली गई समझी जाएगी जब या तो प्रमाणपत्र में कथित रकम वसूल कर ली गई हो या उस रकम की वसूली के लिए सम्पत्ति विक्रीत कर दी गई हो।

(3) उद्घोषणा के निकाले जाने के पश्चात् और उसके वापस लिए जाने के पूर्व किया गया उस सम्पत्ति का या उसमें व्यतिक्रमी के किसी हित का प्राइवेट अन्य-संक्रमण, चाहे वह विक्रय, दान, बन्धक द्वारा हो या अन्यथा, ⁶[सरकार के] और किसी ऐसे व्यक्ति के ⁷[खिलाफ] शून्य होगा जो प्रमाणपत्र में कथित रकम की वसूली के लिए किए गए विक्रय पर उस सम्पत्ति को खरीदे।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यक्षीन, जब प्रमाणपत्र में कथित किसी रकम की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के खिलाफ कार्यवाहियां की जाती हैं तब उसमें व्यतिक्रमी के हितों के ही खिलाफ ऐसी कार्यवाहियां की जाएंगी और उसके द्वारा ⁸सद्भावपूर्वक सृजित विल्लंगम या किए गए अनुदान या की गई संविदाएं, उसके हितों के खिलाफ कार्यवाहियां किए जाने के कारण से ही अविधिमान्य नहीं होंगी।

(5) इस धारा के अधीन उद्घोषणा, डोंडी पिटवाकर या अन्य प्रचलित रीति से और उसकी एक प्रति को उस सम्पत्ति के जिससे वह संबद्ध है या उसके पास किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाकर की जाएगी।

7. राजस्व से सम्बद्ध स्थानीय विधियों की व्यावृत्ति—पूर्वगामी धाराओं की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह—

(क) भू-राजस्व की या भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय राशियों की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा उपबन्धित किसी प्रतिभूति का ह्रास करती है या उसके उपबन्धों को प्रभावित करती है; अथवा

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन किसी निगम, आयुक्त, समिति, बोर्ड, परिषद् को या नगरपालिका पर प्राधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति को संदेय किसी कर की वसूली के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी प्राधिकृत करती है।

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित।

² भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1937 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा अंतःस्थापित।

³ भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1937 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा “बर्मा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1950 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2(2) और अनुसूची द्वारा “भाग क राज्य या भाग ग राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा “क्राउन” शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सरकार के खिलाफ” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁷ साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 में परिभाषा देखिए।

8. भारत के परे प्रोद्भूत होने वाली कतिपय लोक मांगों की भारत में वसूली—जब यह अधिनियम किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर लागू किया गया हो जो ¹[केन्द्रीय सरकार ^{2****}] के प्रशासन के अधीन है किन्तु जो ³भारत ^{4****}] का भाग नहीं है, तब उस स्थानीय क्षेत्र में प्रोद्भूत होने वाले भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय और उस स्थानीय क्षेत्र में कलक्टर या अन्य लोक अधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय राशि ³[भारत ^{4****}] में इस अधिनियम के अधीन वसूल की जा सकेगी।

⁵[9. बर्मा में प्रोद्भूत होने वाले भू-राजस्व आदि की भारत में वसूली—(1) केन्द्रीय सरकार निदेश⁶ दे सकेगी कि भू-राजस्व की कोई बकाया जो बर्मा में प्रोद्भूत हुई हो या कोई राशि जो भू-राजस्व की बकाया के रूप में बर्मा में वसूलीय हो और बर्मा में किसी कलक्टर या अन्य लोक अधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हो, ^{7****} भारत में इस अधिनियम के अधीन वसूल की जा सकेगी, और तदुपरान्त ऐसी बकाया या राशि ऐसे वसूलीय होगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसा कोई निदेश तब तक नहीं देगी जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि ^{7****} भारत में प्रोद्भूत होने वाली बकाया का संदाय ^{7****} भारत में अभ्यापत्ति के अधीन करने वाले व्यक्ति को ^{7****} भारत में इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन उपलब्ध उपचार, बर्मा में प्रोद्भूत होने वाली बकाया का संदाय भारत में अभ्यापत्ति के अधीन करने वाले व्यक्ति को बर्मा की विधि के अधीन उपलब्ध है।

(2) बर्मा में प्रवृत्त आय-कर या अधिकार से सम्बद्ध अधिनियमितियों के अधीन देय किसी कर की बकाया या शास्ति को इस आधार पर वसूल करने के लिए कलक्टर को ऐसी अतिरिक्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी जैसी कि उसे आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 46(2) के परन्तुक के अधीन भारतीय आय-कर और अधिकार के सम्बन्ध में प्राप्त हैं।]

⁸[(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) पाकिस्तान के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगी जैसे वे बर्मा के सम्बन्ध में लागू होती हैं।]

10. कतिपय दशाओं में संगृहीत धनराशियों को प्रेषित करने का कलक्टर का कर्तव्य—जहां कोई कलक्टर किसी अन्य राज्य के कलक्टर से या ⁸[पाकिस्तान अथवा] बर्मा के किसी कलक्टर से इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त करता है वहां वह उस प्रमाणपत्र के आधार पर अपने द्वारा वसूल की गई किसी भी राशि को, उस मामले से सम्बद्ध अपने व्ययों की कटौती करने के पश्चात् उस कलक्टर को प्रेषित कर देगा।]

अनुसूची

प्रमाणपत्र

[देखिए धारा 3, उपधारा (1)]

प्रेषक

कलक्टर.....

सेवा में

कलक्टर.....

तारीख.....

.....रुपए की राशि.....मद्धे.....के पुत्र.....निवासी
.....द्वारा संदेय है और यह विश्वास किया जाता है कि वे आपके जिले में (.....में हैं)
(.....में.....रूप में सम्पत्ति रखते हैं)।

राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के उपबंधों के अध्याधीन, उक्त राशि आप द्वारा इस प्रकार वसूलीय है मानो कि वह ऐसे भू-राजस्व की बकाया हो जो आपके अपने जिले में प्रोद्भूत हुई हो और एतद्द्वारा आपसे यह वांछित है कि आप उसे उस प्रकार वसूल करें और.....में मेरे कार्यालय को प्रेषित करें।

क० ख०

कलक्टर.....

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1947 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा "या क्राउन के प्रतिनिधि" शब्दों का लोप किया गया।

³ भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1947 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा "ब्रिटिश भारत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "के प्रांतों" शब्दों का लोप किया गया।

⁵ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित।

⁶ इस धारा के अधीन निदेश के लिए भारत का राजपत्र, 1937, भाग 1, पृष्ठ 1941 देखिए।

⁷ भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1947 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा "ब्रिटिश" शब्द का लोप किया गया।

⁸ भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1947 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा अंतःस्थापित।